अत्यावश्यक
नगरपालिका आम/उप-निर्वाचन,
2025

# राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
# STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक - न0नि0 50-232/2022 - 2284

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा, भा.प्र.से.
सचिव,

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
**(नवादा, औरंगाबाद , शिवहर, दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज, शेखपुरा एवं जमुई जिला को छोड़कर)**

पटना, दिनांक - 27.5.25

**विषय : नगरपालिका आम/उप-निर्वाचन 2025 : विधि व्यवस्था का संधारण से संबंधित निदेश का अनुपालन करने तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।**

**प्रसंग : आयोग का पत्रांक 2228 दिनांक 24.05.2025**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्रांक 2228 दिनांक 24.05.2025 द्वारा नगरपालिका आम/उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने का निदेश दिया गया है।

विदित है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण करने संबंधी निम्नांकित पत्र द्वारा निदेश दिये गये थे :-

| क्रमांक | पत्रांक /दिनांक | | विषय |
|---|---|---|---|
| 1. | 3682/07.09.2022 | – | विधि व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन भेजने के संबंध में। |
| 2. | 3685/07.09.2022 | – | गैर जमानतीय वारंट के संबंध में। |
| 3. | 3735/08.09.2022 | – | मतदान केन्द्र के अन्तर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में चुनाव कार्य (electioneering) पर रोक एवं विधि व्यवस्था संधारण के संबंध में। |
| 4. | 3736/08.09.2022 | – | मतदान केन्द्र के निकट शस्त्र धारित करने पर प्रतिबंध। |
| 5. | 3984/16.09.2022 | – | उड़नदस्ता (एफ-एस.) एवं स्थैतिक निगरानी दल (एस.एस.टी.) के संबंध में। |

उक्त पत्रों को सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के निमित्त उपरोक्त दिये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाये एवं तत्संबंधी निर्देश से सभी निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ सभी संबंधित को अवगत कराना सुनिश्चित की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 27.5.25
सचिव।

27.5.25

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom

ज्ञापांक – न0नि0 50-232/2022 -2284 पटना, दिनांक - 27.5.25

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

27/5/25

सचिव।

ज्ञापांक – न0नि0 50-232/2022 - 2284 पटना, दिनांक - 27.5.25

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/25

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-232/2022 - 2284 पटना, दिनांक - 27.5.25

प्रतिलिपि सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/25

सचिव।

**अत्यावश्यक**
**नगरपालिका आम चुनाव, 2022**

पत्र संख्या–न0नि0 50–232/2022–3682

# राज्य निर्वाचन आयोग
# बिहार
**STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR**

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका),
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

पटना, दिनांक– 7 सितम्बर, 2022

**विषय :– नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 : विधि व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 सम्पन्न कराये जाने हेतु राज्य सरकार स्तर से अधिसूचना निर्गत किये जायेंगे। अधिसूचना निर्गत की तिथि से सभी नगरपालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार सहिंता प्रभावी हो जायेगा जो मतगणना उपरान्त विधिवत रूप से परिणाम घोषणा होने तक प्रभावी रहेगा। नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 को निष्पक्ष, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों को निरूत्साहित किया जाय तथा उसके विरूद्ध अभी से सरकार के पास उपलब्ध वैधानिक विकल्पों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

2. उक्त स्थिति में यह और आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक जिले में अपराधी एवं उपद्रवी तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाय। यह कार्रवाई नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 संपन्न होने तक जारी रखी जाय ताकि विधि–व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित रह सके और चुनाव की प्रक्रिया के दौरान असामाजिक तत्व भागते नजर आयें।

3. उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर सक्रिय (effective)कार्रवाई करने हेतु निम्नांकित निदेश दिये गये हैं :–

(क) विगत नगरपालिका आम निर्वाचन के मतदान केन्द्रों पर कब्जा एवं अन्य निर्वाचन संबंधी अपराध से संबंधित स्थानों का मैप तैयार किया जाये।

(ख) निर्वाचन संबंधी अपराधिक मामलों का डाटाबेस तैयार किया जाये।

(ग) लंबित गैर जमानती वारंट एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया जाय।

(घ) संबंधित दडाधिकारियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन असामाजिक/उपद्रवी एवं अशांति पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

(ङ) नगरपालिका क्षेत्र में पुलिस गश्ती तेज किया जाय तथा लगातार छापामारी भी किया जाय। Arms Act. के तहत अवैध आग्नेयाशस्त्र की जब्ती की कार्रवाई की जाय।

(च) सूचना के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने के उदेश्य से अवैध रूप से वितरण किये जाने वाली नकद राशि/सामग्री की छापामारी कर जब्त करते समय यह ध्यान रखा जाये की जब्त राशि/सामग्री का संबंध निश्चित रूप से निर्वाचन से हो।

(छ) Bihar Excise (Amendment) Act 2016 का पूर्ण अनुपालन कराया जाय।

(ज) लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन कराया जाये।

(झ) यदि कोई नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो तो चुनाव कराने हेतु नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का मैप और चुनावी हिंसा की मैंपिग तैयार कर ली जाये ताकि मतदान सुगमता से कराया जा सके।

(ञ) अन्य वैधानिक उपाय जो स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए आवश्यक हो।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847] E-mail: secbihar@gmail.com

(ट) विधि व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन हेतु डिजिटाईज्ड प्रपत्र तैयार किये गये हैं। जो राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसका User Manual भी पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन रूटीन रूप में नहीं लिया जाय। विधि व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन आयोग एवं पुलिस महानिदेशक को उपलब्ध कराया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–232/2022–3682 पटना, दिनांक– 7 **सितम्बर, 2022**

प्रतिलिपि : आई0टी0 मनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को आयोग के बेवसाइट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–232/2022–3682 पटना, दिनांक– 7 **सितम्बर, 2022**

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निदेश का अनुश्रवण अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–232/2022–3682 पटना, दिनांक– 7 **सितम्बर, 2022**

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–232/2022–3682 पटना, दिनांक– 7 **सितम्बर, 2022**

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि सभी जिला दंडाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को अपने स्तर से भी निदेश देने की कृपा की जाय।

सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–232/2022–3682 पटना, दिनांक– 7 **सितम्बर, 2022**

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

**अत्यावश्यक**
**नगरपालिका आम चुनाव, 2022**

पत्र संख्या–न0नि0 50–232/2022–3685

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
**STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR**

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक

पटना, दिनांक –7 **सितम्बर, 2022**

**विषय :– नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 : गैर जमानतीय वारंट (NBW) के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 सम्पन्न कराये जाने हेतु राज्य सरकार स्तर से अधिसूचना निर्गत किये जायेंगे। अधिसूचना के पश्चात नामांकन प्रक्रिया आरंभ होगी। ऐसी संभावना है कि वैसे व्यक्ति जिनके विरूद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत हैं, वे भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं।

अतएव अनुरोध है कि लंबित गैर जमानती वारंट (NBW) के साथ संबंधित थाना प्रभारी या उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी नामांकन की प्रक्रिया के दौरान नामांकन स्थल पर उपस्थित रहने हेतु निदेशित करें ताकि नामांकन के उपरांत वैसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा सके।

विश्वासभाजन,

ह0/- 07/ix/22

सचिव।

ज्ञापांक न0नि0 50–232/2022–3685 पटना, दिनांक–7 **सितम्बर, 2022**

प्रतिलिपि : आई0टी0मैनेजर को पत्र आयोग के बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

ह0/- 07/ix/22

सचिव।

ज्ञापंक न0नि0 50–232/2022–3685 पटना, दिनांक – 7 **सितम्बर, 2022**

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 07/ix/22

सचिव।

ज्ञापंक न0नि0 50–232/2022–3685 पटना, दिनांक – 7 **सितम्बर, 2022**

प्रतिलिपि : पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 07/ix/22

सचिव।

ह0/- 7.9.22

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847] E-mail: secbihar@gmail.com

I

**आवश्यक**

**नगरपालिका आम चुनाव, 2022**

# राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

# STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या -न.नि.50-232/2022 - 3735

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला दंडाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक - 8.9.22

**विषय : नगरपालिका आम चुनाव, 2022 : मतदान केन्द्र के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में चुनाव कार्य (electioneering) पर रोक एवं विधि –व्यवस्था के संधारण के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि मतदान तिथि को मतदान केन्द्र के बाहर अधिकांश अभ्यर्थियों द्वारा अपना-अपना निर्वाचन केन्द्र बनाने की व्यवस्था की जाती है, ताकि मतदाताओं को गैर आधिकारिक पहचान स्लिप (unofficial identity slip)देकर पीठासीन पदाधिकारी/मतदान पदाधिकारी के पास भेजा जाए, जो उस गैर आधिकारिक स्लिप में अंकित मतदाता के क्रमांक / नाम को देखकर अपने पास रखी गई मतदाता सूची में उसका नाम तुरंत ढूंढ सकें। कहीं-कहीं से ऐसे निर्वाचन केन्द्रों पर विभिन्न अभ्यर्थियों के समर्थकों / मतदाताओं के बीच संघर्ष होने की नौबत भी उत्पन्न हो जाती है।

2. उपर्युक्त बिन्दुओं पर भली-भाँति विचार कर आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि :-

*(i)* मतदान केन्द्र के 200 मीटर की दूरी की परिधि में किसी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा कोई निर्वाचन केन्द्र नहीं बनाया जाएगा। जहाँ एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, वैसे मतदान केन्द्रों के समूह के लिए परिसर के 200 मीटर के बाहर एक अभ्यर्थी मात्र एक ही निर्वाचन केन्द्र स्थापित कर सकेगा।

*(ii)* वैसे केन्द्रों पर अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक टेबल और एक कुर्सी तथा धूप-बारिश आदि से बचाव के लिए छाता/तारपोलिन उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे केन्द्र को किसी भी परिस्थिति में कनात आदि से घेरा नहीं जाएगा।

*(iii)* वैसे केन्द्र स्थापित करने का इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाची पदाधिकारी को अग्रिम रूप में उन मतदान केन्द्रों की संख्या एवं नाम संसूचित करेगा, जहाँ वह ऐसे केन्द्र बनाना चाहता है । वह संबंधित सरकारी प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारियों, यथा नगर निगम , नगर परिषद्, नगर पंचायत , जिला परिषद आदि से उनकी लिखित अनुमति, निश्चित रूप से केन्द्र स्थापित करने से पहले प्राप्त कर लेगा। ऐसा लिखित अनुमति पत्र उस केन्द्र के प्रभारी व्यक्ति के पास हमेशा



8.9.22

मौजूद रहेगा तथा पुलिस/निर्वाचन से संबंधित पदाधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें वह अनुमति पत्र दिखलाया जाएगा।

(*iv*) वैसे केन्द्र मतदाताओं को मात्र गैर आधिकारिक पहचान स्लिप निर्गत करने के उद्देश्य से ही स्थापित किए जाएंगे। ऐसी पहचान स्लिप में किसी अभ्यर्थी अथवा उसके प्रतीक चिह्न का कोई उल्लेख नहीं रहेगा, मात्र मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक एवं उसका नाम/पिता का नाम आदि अंकित रहेगा।

(*v*) **वैसे निर्वाचन केन्द्र पर अभ्यर्थी के नाम तथा उसके निर्वाचन प्रतीक को प्रदर्शित करता हुआ अधिकतम 3 फीट x 4.5 फीट का मात्र एक बैनर प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाएगी।** इस निदेश के विपरीत लगाया गया कोई बैनर विधि-व्यवस्था संधारित करने वाले अधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिया जाएगा और जप्त कर लिया जाएगा।

(*vi*) किसी भी परिस्थिति में ऐसे केन्द्रों पर भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस व्यक्ति ने अपना मतदान कर लिया है (**जो उसकी बायीं तर्जनी पर लगे अमिट स्याही के निशान से स्पष्ट हो जाएगा**), उसे भी वैसे केन्द्र पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(*vii*) उक्त केन्द्रों के संचालन में लगे व्यक्ति किसी भी मतदाता को मतदान केन्द्र अथवा दूसरे अभ्यर्थी के केन्द्र में जाने से नहीं रोकेंगे, न ही मतदाता द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कोई अड़चन अथवा बाधा उत्पन्न करेंगे। किसी भी मतदाता को किसी विशेष अभ्यर्थी के निर्वाचन केन्द्र में ही जाकर गैर आधिकारिक पहचान स्लिप प्राप्त करने अथवा किसी अभ्यर्थी के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने हेतु प्रभावित करने की चेष्टा नहीं की जाएगी।

3. आयोग सभी संबंधित को सचेत करना चाहता है कि उपर्युक्त निदेशों के उल्लंघन को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा तथा वैसे केन्द्र को हटाने के अतिरिक्त उत्तरदायी अभ्यर्थी/उनके समर्थक अथवा अभिकर्ता के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

4. अगर यह पाया जाता है कि किसी पदाधिकारी ने उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु तत्परतापूर्वक तथा त्वरित कार्रवाई करने में चूक अथवा लापरवाही की है, तो उनके विरूद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई करने के अतिरिक्त अन्य दण्डात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

5. निर्वाची पदाधिकारी द्वारा इस आदेश की प्रति सभी अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को नामांकन भरने के समय पावती रसीद पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

विश्वासभाजन,

सचिव।

ज्ञापांक – न.नि.50-232/2022-3735 पटना, दिनांक - 8.9.22

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – न.नि.50-232/2022-3735 पटना, दिनांक - 8.9.22

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक – न.नि.50-232/ 2022 - 3735 पटना, दिनांक - 8.9.22

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/09/22

सचिव।

ज्ञापांक – न.नि.50-232/ 2022 - 3735 पटना, दिनांक - 8.9.22

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

08/09/22

सचिव।

II

**आवश्यक**

**नगरपालिका आम चुनाव, 2022**

# राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
# STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या -न.नि.50-232/2022 - 3736

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला दण्डाधिकारी
सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक - 8.9.22

**विषय : नगरपालिका आम चुनाव 2022 : मतदान केन्द्र के निकट शस्त्र धारित करने पर प्रतिबंध।**

महाशय,

निदेशानुसार सभी संबंधित का ध्यान बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की **धारा 467** के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसका संगत अवतरण निम्नवत है:-

**"मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध:-(1) मतदान केन्द्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र में कर्तव्य पर है, के अलावा कोई भी व्यक्ति, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के पास आयुध अधिनियम 1959 (1959 का सं 54) में यथा परिभाषित, किसी प्रकार के शस्त्र लेकर नहीं जाएगा।**

**(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।**

**(3) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का सं 54) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का सिद्धदोष हो, उसके कब्जे में उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित शस्त्र पाया गया हो तो जब्त कर लिया जाएगा और उन शस्त्रों के लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति को उस अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत प्रतिसंहरित माना जाएगा।**

**(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।"**

2. उक्त धारा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्पष्ट रूप से अनुमत व्यक्तियों को छोड़कर, कोई अन्य व्यक्ति न तो शस्त्र रखेगा, न ही मतदान केन्द्रों या उसके आस पास (**मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर**) उनका प्रदर्शन करेगा, ताकि निर्वाचन का संचालन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके तथा शस्त्रों के प्रदर्शन अथवा उनके आधिक्य के कारण कोई मतदाता डर कर या घबराकर मतदान करने से विरत न हो जाए।



8.9.22

3. ऐसा देखा जाता है कि मतदान के समय अभ्यर्थियों और/अथवा उनके समर्थकों, जिन्हें राज्य प्राधिकारियों से सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं, मतदान केन्द्रों में अथवा उसके आसपास, वैसे सुरक्षा कर्मियों को साथ लेकर चले जाते हैं। यह अधिनियम की धारा 467 में विहित प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अतः आयोग द्वारा निदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसे किसी भी स्रोत से सुरक्षा मुहैय्या कराई गई हो, किसी मतदान केन्द्र में तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में वैसे सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रवेश नहीं करेगा। सुरक्षा मुहैय्या कराने वाली एजेंसियों द्वारा तद्नुसार ही सुरक्षा योजना बनाई जानी चाहिए। निर्वाचन के प्रभारियों का यह दायित्व होगा कि उक्त धारा के प्रावधानों का अनुपालन सख्तीपूर्वक किया जाए तथा वैसे व्यक्ति(अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता, समर्थक या कोई मतदाता भी) को मतदान केन्द्र में या उसके समीप जाने की अनुमति नहीं दी जाए। यही प्रतिबंध मतगणना केन्द्र में अथवा उसके आस-पास प्रवेश के संबंध में भी लागू होंगे। कई अभ्यर्थी अपना चुनाव प्रचार अथवा अन्य निर्वाचन कार्य मुख्यतः अपने निर्वाचन अभिकर्ताओं के माध्यम से संपन्न कराते है। अतः निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को उनके ही हित के लिए यह बात अच्छी तरह से समझा दी जानी चाहिए कि **वे अपने निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करें, जिसे प्रशासन से सुरक्षा प्राप्त है तथा जिसे अपने मूवमेन्ट के लिए सुरक्षा कर्मियों को साथ रखना पड़ता है।** इससे निर्वाचन अभिकर्ताओं को चुनाव प्रचार करने तथा मतदान एवं मतगणना के दिन अभ्यर्थी के हित में बिना किसी अवरोध/बाधा के घूमने में सहूलियत होगी।

4. **कृपया इस पत्र की पर्याप्त प्रतियां अपने स्तर पर तैयार कर सभी निर्वाची पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं विशेष रूप से थाना प्रभारियों को तुरंत उपलब्ध करा दी जाए तथा उन्हें यह निदेश दिया जाए कि वे नामांकन के समय हीं सभी प्रत्याशियों को इसकी प्रति पावती रसीद पर निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।**

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 08/9/22

सचिव।

ज्ञापांक – न.नि.50-232/2022 - 3736 पटना, दिनांक - 8.9.22

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 08/9/22

सचिव।

ज्ञापांक – न.नि.50-232/2022 - 3736 पटना, दिनांक - 8.9.22

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 08/9/22

सचिव।

ज्ञापांक – न.नि.50-232/2022 - 3736 पटना, दिनांक - 8.9.22

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 08/9/22

सचिव।

ज्ञापांक – न.नि.50-232/2022 - 3736 पटना, दिनांक - 8.9.22

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 08/9/22

सचिव।

आवश्यक

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांकः— न0 नि0 50—232 / 2022 3984        1576 - 16.9.22

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी —सह—
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)

**विषयः नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022— उड़न दस्ता (एफ.एस.) एवं स्थैतिक निगरानी दल (एस.एस.टी.) के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 हेतु अधिसूचना दिनांक—09.09.2022 को निर्गत किये जा चूके हैं। वर्तमान में नगरपालिका आम निर्वाचन अंतर्गत वार्ड पार्षद के अतिरिक्त उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद के पद पर प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा निर्वाचन सम्पन्न कराया जा रहा है। जिससे निर्वाचन की संवेदनशीलता पूर्व से अत्यधिक बढ़ गई है। विदित हो कि आयोग का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण निर्वाचन कराना है। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त निर्वाचन के हित में निर्वाचकों को डराने, धमकाने, प्रभावित करने और प्रलोभन देने के सभी रूपों को रोका जाना है। सामान्यतः निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचकों के प्रलोभन के लिए नकदी, उपहार वस्तुएँ, मदिरा या मुफ्त भोजन आदि का वितरण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचकों को प्रभावित करने के लिए नकदी या घूस की कोई भी वस्तु का वितरण या बाहुबल का इस्तेमाल करना आई.पी.सी. की धारा 171 (ख) और धारा 171 (ग) के अंतर्गत अपराध है।

निर्वाचन की शुचिता बनाये रखने के प्रयोजनार्थ आयोग द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रचार खर्च, घूस के रूप में नकदी या किसी वस्तु का वितरण, अवैध शराब का वितरण, असामाजिक तत्वों की आवाजाही आदि पर निगरानी रखने के लिए **प्रत्येक नगर निगम के लिए कम से कम चार से पाँच एवं नगर परिषद / नगर पंचायत के लिए अनुमंडल स्तर पर कम से कम दो फ्लाईंग स्क्वायड (F.S.) उड़न दस्ता चेक नाका के अनुरूप एक स्थैतिक निगरानी दल (S.S.T.)** का गठन किया जाए, जो मतदान की समाप्ति तक कार्यरत रहेगा। उड़न दस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया निम्नवत् हैः—

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna-800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612-2507847 E-mail : secbihar@gmail.com



16.9.22

## (क) उड़न दस्ता (Flying Squad)

(i) प्रत्येक उड़न दस्ता दल में एक मजिस्ट्रेट तथा उसके साथ एक पुलिस पदाधिकारी एवं राज्य सशस्त्र पुलिस के 3–4 जवानों को शामिल किया जाएगा। इस दल के साथ एक विडियोग्राफर भी होगा।

(ii) उड़नदस्ता आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और इस संबंध में प्राप्त शिकायत पर कार्रवाई करेगा।

(iii) यह दस्ता निर्वाचकों को रिश्वत देने के प्रयोजनार्थ नकदी को लाने–ले जाने की शिकायत पर कार्रवाई करेगा तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधि, अवैध हथियार, अवैध शराब, मदिरा आदि के परिवहन पर नजर रखेगी एवं इससे संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करेगा।

(iv) अभ्यर्थियों के द्वारा की जानेवाली सभा, जुलूस और रैली आदि पर नजर रखेगा।

(v) जब कभी भी नकदी या शराब या रिश्वत के रूप में कोई वस्तु के वितरण अथवा कोई अन्य शिकायत प्राप्त होती है, तो उड़नदस्ता मौके पर तत्काल पहुँचेगा तथा उड़नदस्ता के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी नकदी या रिश्वत की वस्तुओं को जब्त करेगा और जिन व्यक्तियों से मदें (Item) जब्त की गयी है, जब्ती सूची बनाते हुए उनके और गवाहों के बयान रिकार्ड करेगा और साक्ष्य जुटायेगा। जिस व्यक्ति से मदें (Item) जब्त की गई है, उसको जब्ती का समुचित पंचनामा सी.आर.सी.पी. के प्रावधानों के अनुसार जारी करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारिता वाले न्यायालय में 24 घंटे के अंदर मामले को प्रस्तुत किया जाये।

उड़न दस्ता का मजिस्ट्रेट यह ध्यान रखेंगे कि इस क्रम में समुचित कानूनी प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है और कानून एवं व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। साथ ही उनके द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग भी करायी जायेगी।

(vi) प्रत्येक उड़न दस्ता अपने वाहन पर लगाई गई सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से अपने क्षेत्राधिकार में स्थानीय भाषा में निम्नलिखित उद्घोषणा करेगा :– ''भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार, कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों दोनो के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्रवाई

करने के लिए गठित किए गए हैं जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है। सभी नागरिकों से एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने हेतु गठित नियंत्रण कक्ष पर सूचित करना चाहिए।''

**(ख) स्थैतिक निगरानी दल (Static Surveillance Team)**

(i) प्रत्येक स्थैतिक निगरानीदल में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट, एक पुलिस पदाधिकारी तथा तीन–चार पुलिस कर्मी होंगे जो चेक पोस्ट पर कार्यरत रहेंगे। इस दल के साथ भी एक वीडियोग्राफर होगा।

(ii) यह दल अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, हथियार, गोला बारूद तथा असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर नजर रखेगा। किसी भी वाहन /वस्तुओं की जाँच कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जाएगी एवं जाँच किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी।

(iii) यह तंत्र मतदान से पहले अंतिम 72 घंटों में सुदृढ़ किया जायेगा और ऐसी अवधि के दौरान एस.एस.टी (Static Surveillance Team) को किसी भी परिस्थिति में विघटित नहीं किया जाएगा।

(iv) जाँच के दौरान नकदी या अन्य मदों की यदि जब्ती की जाती है, तो यह सी.आर.सी.पी. के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए। एस.एस.टी. के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में 24 घंटे के भीतर शिकायत/एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी।

उड़न दस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दल का गठन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा तथा उन्हें उपयुक्त तरीके से प्रशिक्षित किया जायेगा। उड़न दस्ता और स्थैतिक निगरानी दल को वाहन की जाँच करने के समय विनम्र, मर्यादित एवं शिष्ट आचरण करना है।

जब्ती के बाद जब्त की गई धनराशि न्यायालय द्वारा यथा–निर्दिष्ट तरीके से जमा की जायेगी।

उड़न दस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा प्रयुक्त सभी वाहनों में जी.पी.आर.एस. समर्थित ट्रैकिंग यूनिट लगाये जायेंगे ताकि इन दलों द्वारा यथासमय कार्रवाई किए जाने की मॉनिटरिंग की जा सके।

वीडियोग्राफी से संबंधित वीडियो रिकार्ड दिनांक, स्थान एवं टीम संख्या की पहचान निशान के साथ संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा किया जायेगा।

स्थैनिक निगरानी दल (S.S.T) के नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित करने हेतु प्रपत्र–1 एवं

फ्लाईंग स्क्वायड (F.S.T) के नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित करने हेतु प्रपत्र–2 पत्र के साथ संलग्न है। जिनमें प्रतिवेदन प्राप्त किये जायेगें।

अनुरोध है कि उपरोक्त किये गये कार्य से संबंधित प्रतिवेदन हेतु संलग्न प्रपत्र में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा समेकित रूप से संयुक्त प्रतिवेदन प्रषित करना सुनिश्चित की जाए।

अनुलग्नकः यथोक्त

विश्वासभाजन

ह0/- 16/9/22

सचिव

ज्ञापांक– न0 नि0 50–232/2022 3984 पटना, दिनांक 16.9.22

प्रतिलिपि– आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

ह0/- 16/9/22

सचिव

ज्ञापांक– न0 नि0 50–232/2022 3984 पटना, दिनांक – 16.9.22

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 16/9/22

सचिव

ज्ञापांक– न0 नि0 50–232/2022 3984 पटना, दिनांक – 16.9.22

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 16/9/22

सचिव

ज्ञापांक– न0 नि0 50–232/2022 3984 पटना, दिनांक – 16.9.22

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 16/9/22

सचिव

ज्ञापांक– न0 नि0 50–232/2022 3984 पटना, दिनांक – 16.9.22

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 16/9/22

सचिव

# आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी (F.S.T.) का प्रतिवेदन

.........................तारीख को आदर्श आचार संहिता (एम.सी.सी.) संबंधी शिकायतों पर उड़न दस्ते की दैनिक क्रियाकलाप रिपोर्ट

मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम ...............................................

पुलिस अधिकारी का नाम ..................................................

दिनांक ..................................................

जिला :- ........................................................

नगर निकाय :- ...............................................

प्रखण्ड :- ......................................................

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 | शिकायतकर्त्ता का नाम | जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है (उसका नाम) | आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों का संक्षिप्त विवरण | की गई कार्रवाई की रिपोर्ट | जाँच के क्रम में पकड़ी गई वस्तु/नकद/Liquor आदि सहित का विवरण |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

हस्ताक्षर

फ्लाईंग स्क्वायड(F.S.T) के नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम

टिप्पणी:-

1 दैनिक प्रतिवेदन जिला विधि व्यवस्था के प्रभारी पदाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

2 प्रभारी पदाधिकारी, विधि व्यवस्था कोषांग आयोग के पोर्टल पर दैनिक प्रतिवेदन को अद्यतन करेंगे।

प्रपत्र–I

## स्थैतिक निगरानी टीम द्वारा/जब्त/अन्य मदों से संबंधित शिकायतों पर दैनिक गतिविधि रिपोर्ट

दिनांक ....................................................

जाँच चौकी (चेक पोस्ट) का स्थान ....................................................  मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम ..............................................

जिला ...........................  पुलिस अधिकारी का नाम ..................................................

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 | जिन व्यक्तियों की चेक पोस्ट पर जाँच की गई है उनका नाम तथा पता | नकदी/अन्य मदें | दर्ज की गई एफ.आई. आर. | उस प्राधिकारी का नाम व पदनाम जिसे जब्त की गई नकदी, वस्तुएं सौंपी गई | अभ्युक्तियाँ |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

हस्ताक्षर

स्थैतिक निगरानी दल के नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम

टिप्पणी:–

1 दैनिक प्रतिवेदन जिला विधि व्यवस्था के प्रभारी पदाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

2 प्रभारी पदाधिकारी, विधि व्यवस्था कोषांग आयोग के पोर्टल पर दैनिक प्रतिवेदन को अद्यतन करेंगे।